न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 180/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हरदीन पुत्र मानाराम जाति कुम्हार निवासी मालगांव तहसील व जिला नागौर।		तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 27-11-19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 43/2018 सरकार बनाम हरदीन में निर्णय दिनांक 28.05.18 के तहत मौजा मालगांव के खसरा नं. 197 रकबा 0.03 बीघा गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.07.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 24.07.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 43/18 सरकार बनाम हरदीन के निर्णय दिनांक 28.05.18 की फोटोप्रति, ग्राम मालगांव के खसरा नं. 345 की नकल खतौनी संवत 2067–70 तथा नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को उक्त निर्णय दिनांक 28.05.18 की पूर्व मे कोई जानकारी नही रही थी, अपीलांट ग्रामीण परिवेश का मात्र साक्षर व्यक्ति है जिसके खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये थे, तत्पश्चात हाल ही मे उसके विरूद्व निर्णय कर देने की जानकारी होने पर दिनांक 05.07.18 को तहसील कार्यालय मे जाकर पता किया व नकल का आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 06.07.18 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई तत्पश्चात 07.07.18 व 08.07.18 को सरकारी अवकाश आ जाने से 09.07.18 व 10.07.18 को कानूनी राय लेकर अपील तैयार करवा कर दिनांक 11.07.18 को अपील पेश की गई। जिससे न्याय हित मे देरी माफ कर तारीख जानकारी दिनांक 06.07.18 से अपील अंदर मियाद शुमार करना न्यायोचित है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व पत्रावली पर आये तथ्यो के संबंध मे अपने स्तर पर कोई जांच व निरीक्षण किये बिना पारित किया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)–मल्लाराम पुत्र उम्मेदाराम कुम्हार निवासी मालगांव ने गांव मालगांव से मांझवास व गांव मालगांव से जीवणबेरा जाने वाले कटाणी रास्ता पर कई लोगो द्वारा किये गये अतिक्रमण व गोचर पर किये गये अतिक्रमण की एक शिकायत सम्पर्क पोर्टल पर पेश की जिसमे रिपोर्ट लिखते समय साथ वाले व्यक्ति ने इस रास्ते के अलावा कई सरकारी खसरान के नंबर दर्ज कर दिये व उसके बाद लोगो ने इन रास्तो व गोचर पर किये गये अतिक्रमण की बार बार शिकायते पेश की जिससे पटवारी व भू अभिलेख अधिकारी ने

अपर कलक्टर, नागौर

दुर्भावना रखते हुए अपीलांट, उक्त मलाराम व उसके पिता उम्मेदाराम के खिलाफ तीनो के पटटासुद भूमि की सीमाओ व रास्ते का भूमाप किये बिना ही अंदाजे से झूठी अतिक्रमण की रिपोर्ट बना दी जिसका खुलासा जवाब पेश किया मगर मौके पर नाप किये बिना बेदखली के आदेश पारित कर दिये, इसलिये मौके पर नाप करवा कर अपीलांट की खातेदारी के परिसर के अलावा कोई भी नाजायज अतिक्रमण होगा तो अपीलांट हटाने को तैयार है।

{2}(III)—वकील अपीलांट द्वारा आगे बहस जारी रखते हुए तर्क दिया गया कि ग्राम मालगांव के खसरा नं. 345 रकबा 0.08 बीघा गै.मु. बाडा भूमि अपीलांट के पिता मानाराम की खातेदारी की भूमि है जिसके चिपते ही उत्तर दिशा मे खसरा नं. 197 गोचर की भूमि आयी हुई है। जहां अपीलांट का कोई अतिक्रमण नही है तथा उसके पुश्तेनी बाडे की भूमि खसरा नं. 345 मे ही कब्जा है। इसलिये आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{3}—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा मालगांव में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}— उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मालगांव के खसरा नंबर 197 रकबा 0.03 बीघा गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जहां तक अपीलांट का उसके पिता मानाराम की खातेदारी भूमि खसरा नं. 345 के अलावा राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नही होने का अपीलांट का कथन रहा है तो ऐसी स्थिति मे राजकीय भूमि खसरा नं. 197 मे अपीलांट का कब्जा है अथवा नही इसका सत्यापन करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट का आराजी खसरा नं. 197 मे भौतिक रूप से कब्जा है अथवा नही, इसका सत्यापन किया जावे। यदि राजकीय भूमि खसरा नं. 197 मे गै.मु. गोचर मे कब्जा पाया जाता है तो आदेश जैर अपील यथावत कायम रहेगा, अन्यथा स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

{6}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर